ऑस्टिन का सम्प्रभुता का सिद्धान्त (Austin's theory of Sovereignty)

जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक "विधानशास्त्र पर व्याख्यान" (Lectures on Jurisprudence) में सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ऑस्टिन की सम्प्रभुता की धारणा पर हॉब्स और बेंथम के विचारों का प्रभाव है। इस सम्बन्ध में **गार्नर** का विचार है कि, "प्रभुत्व की जो धारणा विश्लेषणवादी विधान विशेषज्ञों और विशेषतः उनमें से सबसे प्रसिद्ध जॉन ऑस्टिन की है, उसका गत अर्द्ध-शताब्दी के कानूनी विचार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऑस्टिन के विचारकों को मूलतः हॉब्स तथा बेंथम से प्रेरणा मिली है।" बेंथम ने राजनीतिक समाज की व्याख्या करते हुए बताया कि, "एक राजनीतिक समाज वही है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा का स्वाभाविक रूप से बहुमत पालन करता है। वह व्यक्ति या समूह सम्प्रभु है वह अपनी आज्ञा का पालन शक्ति के माध्यम से करवाता है।" **ऑस्टिन** का विचार है कि, "यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ, जो इसी प्रकार के किसी अन्य मानव श्रेष्ठ के आदेशों के पालन करने का अभ्यस्त न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता है और वह अभ्यस्त रूप में उसका पालन करता है तो उस समाज में वह निश्चित मानव श्रेष्ठ होता है और वह समाज (उस श्रेष्ठ मानव सहित) राजनीतिक तथा स्वतन्त्र होता है।"[1]

ऑस्टिन ने कानून के बारे में अपने विचार इस प्रकार दिए हैं—"प्रत्येक सकारात्मक कानून को अथवा केवल निश्चित रूप से तथाकथित प्रत्येक कानून को एक प्रभुता-सम्पन्न व्यक्ति अथवा संगठन उस स्वतन्त्र राजनीतिक समाज के एक सदस्य अथवा सदस्यों पर लागू करता है, जिसमें वह व्यक्ति अथवा संगठन प्रभु सर्वोपरि होता है।"

सिद्धान्त का विश्लेषण—ऑस्टिन के सिद्धान्त का विश्लेषण करने पर सम्प्रभुता के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

(1) सम्प्रभुता स्वतन्त्र राजनीतिक समाज का अनिवार्य गुण है—प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुशक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के एक पिण्ड में आकर्षण-केन्द्र का होना अनिवार्य है। अर्थात् सम्प्रभुता स्वतन्त्र राजनीतिक समाज के लिए अनिवार्य है।

(2) सम्प्रभुता निश्चयात्मक मानव-श्रेष्ठ या मानव समूह में होती है—सम्प्रभुता सदैव किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निवास करती है। अनिश्चित व्यक्ति में या

---

1 "If a determinate human superior not in a habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society and the society, including the superior, is a society political and independent."
—*John Austin*

Scanned with CamScanner

ईश्वरीय शक्ति में सम्प्रभुता नहीं रह सकती है। प्रत्येक स्वतन्त्र राजनीतिक समाज में कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह पाया जाता है, जो प्रभुत्वशक्ति का प्रयोग करता है। रूसो सामान्य इच्छा को सम्प्रभु मानता है। कुछ लोग जनमत को सम्प्रभु मानते हैं, जबकि कुछ निर्वाचन समूह को मानते हैं। परन्तु ऑस्टिन के मतानुसार, सम्प्रभुता का निवास न तो सामान्य इच्छा में है, न जनमत में है और न निर्वाचक समूह में है, क्योंकि इनमें कोई भी निश्चयात्मक समूह नहीं है। ऑस्टिन की सम्प्रभुता का अधिवास अनिवार्यतः एक सर्वश्रेष्ठ मानव तथा निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में होता है।

(3) **सम्प्रभुता बाहरी और आन्तरिक दोनों क्षेत्रों में अबाध और असीमित होती है**—सम्प्रभुता राज्य की सीमा के अन्दर समस्त व्यक्तियों, संस्थाओं, व्यक्ति समूहों से सर्वोच्च होती है। सभी सम्प्रभुता की आधीनता में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह सम्प्रभुता की आज्ञा मानने से मना नहीं कर सकता है। राज्य के बाहर कोई राज्य बिना उसकी स्वीकृति के अपनी इच्छा, आज्ञा, कानून, बंधन नहीं लाद सकता है। इस प्रकार सम्प्रभुता निरंकुश और असीम है। वह स्वयं कानून का स्रोत है। वह स्वयं कानून से परे है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी नियन्त्रण से परे है। सम्प्रभु औरों को आज्ञा देता है, परन्तु स्वयं किसी से आज्ञा नहीं लेता है।

(4) **सम्प्रभु की आज्ञाओं का पालन समाज का अधिकांश भाग अभ्यास के कारण करता है**—समाज का अधिकांश भाग सम्प्रभु की आज्ञाओं का पालन अपनी आदत के कारण करता है। इस आज्ञापालन का रूप निरन्तर बना रहना चाहिए। यदि समाज के एक दो व्यक्ति सम्प्रभुता की आज्ञा का उल्लंघन करें, या यदि सम्प्रभु के विरुद्ध क्रान्ति हो जाए तो इससे सम्प्रभुता की सर्वोच्चता पर आक्षेप नहीं होता और वह अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ बनी रहती है। समाज का अधिकांश भाग सम्प्रभु की आज्ञा का स्वभावतः पालन करता रहता हो।

(5) **कानून का आधार सम्प्रभुता होती है**—सम्प्रभु ही कानून का निर्माता है, सम्प्रभु की आज्ञा ही कानून है। सम्प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दण्ड का भागी है। कानून का एकमात्र स्रोत सम्प्रभुता है। कोई भी परम्परा, रीति-रिवाज, प्रथाएँ उस समय तक कानून नहीं बन सकती हैं जब तक सम्प्रभु उन्हें कानूनी रूप में मान्यता न दे दे। सम्प्रभुता किसी भी दैवी कानून, प्राकृतिक कानून या संवैधानिक कानून से प्रतिबन्धित नहीं है और ये उस समय तक कानून नहीं बन सकते जब तक सम्प्रभुता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उन्हें स्वीकार न करे।

(6) **सम्प्रभु स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता है**—ऑस्टिन ने अपने सम्प्रभु को किसी अन्य सर्वश्रेष्ठ मानव अधिकारी की आज्ञा न मानने की बात कही है। यदि सम्प्रभु अन्य किसी सम्प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा तो वह स्वयं सम्प्रभु नहीं रह सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सम्प्रभु किसी अन्य की आज्ञा का अभ्यासी नहीं होना चाहिए।

(7) **सम्प्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है**—ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता अविभाज्य (Indivisible) है, क्योंकि वह इकाई है, उसको खण्डित नहीं किया जा सकता है। उसके विभाजन का अर्थ उसका विनाश होगा चूँकि सम्प्रभुता का निवास किसी निश्चित

Scanned with CamScanner

व्यक्ति या व्यक्ति समूह में होता है, अतः उसका विभाजन कई व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों में नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता निरंकुश, अप्रतिबन्धित, अदेय, एक, अविभाज्य एवं स्थायी होती है।

ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धान्त की आलोचनाएँ—ऑस्टिन ने अपनी सम्प्रभुता का सिद्धान्त दिया है, उसकी कुछ विद्वानों ने बहुत आलोचना की है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं—

(1) **समाज में एक सम्प्रभुता-सम्पन्न निश्चित व्यक्ति को खोजना कठिन है**—ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है। इस प्रकार के निश्चित मानव श्रेष्ठ को समाज में नहीं खोजा जा सकता है। **सर हेनरी मेन** का विचार है कि, "इतिहास में इस प्रकार के निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के उदाहरण नहीं मिलते हैं।" हेनरी मेन के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक राज्य हुए हैं, जहाँ ऑस्टिन के 'सुनिश्चित मानव श्रेष्ठ' जैसी सत्ता का अभाव रहा है। कानून का पालन व्यक्तियों ने इसलिए नहीं किया कि उसके पीछे किसी निरंकुश राजा का हाथ रहा है बल्कि इसलिए किया कि वे भावनाओं, प्रथाओं, विश्वास, प्राचीन परम्पराओं आदि पर आधारित होते हैं। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभावकारी शक्तियाँ होती हैं जिनकी अवहेलना कोई भी राज्यधिकारी नहीं कर पाता। **लीकॉक** ने भी इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "प्रभुत्व राज्य तथा कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने दिया है, यह पूर्वी जन रीतियों पर लागू नहीं होता।" **प्रो. लास्की** का विचार है कि, "कहीं भी अधिपति ने असीमित अधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं किया। सदैव ऐसे अधिकार प्रयोग का परिणाम संरक्षणों की स्थापना ही हुआ है।" इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें निश्चित मानव श्रेष्ठ रहे जिसमें सम्प्रभुता का अधिवास हो। निश्चित मानव श्रेष्ठ के अभाव में भी कानून और राज्य पाए जा सकते हैं।

(2) **अनेक शासन-तन्त्रों में ऑस्टिन की धारणा को लागू करना कठिन है**—ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता का सिद्धान्त आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। गिलक्राइस्ट के अनुसार जब ऑस्टिन अपने सिद्धान्त को इंग्लैण्ड और अमेरिका के शासन-तन्त्रों पर लागू करता है तो वह स्वयं भ्रमित हो उठता है। इंग्लैण्ड में सम्प्रभुता के अधिवास के बारे में ऑस्टिन परस्पर विरोधी बातें बताता है। एक स्थान पर वह मानता है कि संसद सम्प्रभु है, तो दूसरे स्थान पर वह मानता है कि सम्राट लॉर्ड सभा तथा मतदाता संयुक्त रूप से सम्प्रभु हो जाते हैं। एक अन्य स्थान पर वह मानता है कि लोक सभा (House of commons) जब विघटित हो जाती है तो मतदाता सम्प्रभु हो जाते हैं। कहीं वह लोक सभा को मतदाताओं का ट्रस्टी मात्र स्वीकार करता है तो कहीं वह इसे अस्वीकार करता है। संयुक्त राज्य अमरीका में निश्चित मानव श्रेष्ठ का खोज पाना कठिन है। वहाँ के संविधान के अनुसार न तो कांग्रेस सर्वोच्च है, न कार्यकारिणी, न न्यायपालिका और न संविधान। इन सभी की शक्तियाँ अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त से मर्यादित और सीमित हैं। इस प्रकार वर्तमानकालीन संघात्मक शासन और संसदीय शासन प्रणाली निश्चित मानव श्रेष्ठ खोजना कठिन है।

(3) **कानून सम्प्रभु का आदेश मात्र नहीं है**—ऑस्टिन का विचार था कि कानून केवल सम्प्रभु का आदेश है। सम्प्रभु जो आदेश देता है वही कानन है. उसके बिना कोई कानून नहीं

Scanned with CamScanner

है। कुछ विद्वानों ने ऑस्टिन के इस विचार की कटु आलोचना की है। आलोचकों का विचार है कि कानून सम्प्रभु का आदेश न होकर ऐतिहासिक परम्पराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। इनकी उपेक्षा करने का साहस कोई निरंकुश शासक नहीं कर सकता है। **सर हेनरी मेन** ने ऑस्टिन के विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि, "कानून को किसी दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता का आदेश मात्र कहना भूल है वह तो समाज के अन्तर्गत क्रियाशील विभिन्न शक्तियों की उपज है।" **प्रो. लास्की** ने ऑस्टिन के विचार की आलोचना इन शब्दों में की है, "कानून को एकमात्र आदेश मान लेना, न्यायविद् के लिए, परिभाषा के सौजन्य की सीमा तक खींचना है। कानून में एक प्रकार की एकरूपता होती है, जिसमें आदेश का तत्त्व प्रायः अनुपस्थित हो जाता है।"

ग्रेट ब्रिटेन में सामान्य कानून (Common law) का विकास हुआ है जिसको सम्प्रभु ने आदेश देकर कानून नहीं बनाया है। इस पर ऑस्टिन ने कहा कि प्रभुसत्ताधारी जिस बात की स्वीकृति देता है, वह ही कानून है। (Whatever the sovereign permits that is also law.)

इस पर आलोचकों ने कहा कि इंग्लैण्ड में सामान्य कानून का विकास एक महत्त्वपूर्ण घटना है और सम्प्रभु इसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुसत्ता के पास इसे जारी रहने देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

(4) कानून का आधार केवल शक्ति नहीं—ऑस्टिन के कानून सिद्धान्त का अभिप्राय है कि कानूनों का पालन बल प्रयोग के आधार पर होता है। व्यक्ति दण्ड के भय से कानूनों का पालन करते हैं अन्यथा उन्हें दण्ड का भागी होना पड़ेगा। इस प्रकार ऑस्टिन शक्ति को निर्णायक तत्त्व के रूप में स्वीकार करता है जो गलत है। **बोसांके** के अनुसार, "ऑस्टिन की प्रभुसत्ता-सम्बन्धी धारणा का आधार शक्ति है। हम आदर्शवादियों के विचार में प्रभुसत्ता समस्त जनसमाज की इच्छा पर आधारित है।"

कानूनों के पालन का आधार मात्र भय न होकर अभ्यास, आदत, स्वार्थ भावनाएँ, प्रथाएँ, विश्वास, प्राचीन मान्यताएँ, परम्पराएँ, रीति-रिवाज आदि हैं। **लास्की** के शब्दों में, "आदेश का भाव अनिश्चित और प्रत्यक्ष है और दण्ड का विचार घुमा-फिरा कर एक चक्करदार तरीके से सोचने के अलावा बिल्कुल शून्य ही है।"

(5) बहुलवादियों के अनुसार सम्प्रभुता का विभाजन सम्भव है—बहुलवादी विचारकों के अनुसार सम्प्रभुता एक सर्वशक्ति-सम्पन्न राज्य न होकर इसका विभाजन किया जाना चाहिए। उसके अनुसार सम्प्रभुता का अधिवास अनेक संस्थाओं में होना चाहिए। यह विभाजन एकात्मक और संघात्मक संविधाओं में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ—इंग्लैण्ड जो एकात्मक संविधान रखता है, वहाँ वैध सम्प्रभु—सम्राट लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा है। इसके अतिरिक्त कार्यपालक सम्प्रभु सम्राट तथा मन्त्रिमण्डल है और न्यायिक सम्प्रभु सम्राट तथा लॉर्ड सभा है। इस प्रकार इंग्लैण्ड में सम्प्रभुता बंट सकती है। इसी प्रकार अमरीका तथा भारत में संघ शासन है, वहाँ तो संघ और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। दोनों सरकारों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित हैं। **बार्कर** ने इसीलिए कहा है कि, "कोई भी राजनीतिक

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त इतना निष्फल नहीं जितना कि प्रभुसत्ता का सिद्धान्त।" **लिण्डसे** ने भी कहा है कि, "यदि हम वास्तविकता को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता का सिद्धान्त नष्ट हो चुका है।"

(6) सम्प्रभुता असीमित नहीं है—ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को असीमित सत्तावान तथा निरंकुश माना है। परन्तु बहुलवादी विचारकों ने इस विचार की आलोचना की है। वे विचारक जो बहुलवादी नहीं हैं, मानते हैं कि सम्प्रभुता वैधानिक दृष्टि से असीमित हो सकती है, परन्तु राजनीतिक एवं ऐतिहासिक प्रतिबन्ध सम्प्रभुता को सीमित करते हैं। **ब्लुंटश्ली** के शब्दों में, "राज्य अपने समूचे रूप में सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि बाह्यतः वह अन्य राज्यों के अधिकारों तथा आन्तरिक दृष्टि से स्वयं अपनी प्रकृति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों से सीमित है।" **सर जेम्स स्टीफेन** के अनुसार, "जैसे प्रकृति में कोई परिपूर्ण वृत्त (Perfect circle) नहीं, उसी प्रकार प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण सर्वोच्च हो।" बेंथम का विचार है कि राज्य की सम्प्रभुता अन्य राज्यों के साथ की गई संधियों से सीमित है। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर इन सीमाओं को आरोपित किया है—

(i) नैतिक प्रतिबन्ध—सामाजिक नैतिकता सम्प्रभु के ऊपर बहुत कड़ी सीमा होती है, जिसका उल्लंघन सम्प्रभु नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि मध्य युग के पूर्वी देशों के सम्प्रभु भी नैतिक नियमों का पालन करते थे, उन्हें तोड़ने का साहस नहीं करते थे।

(ii) रीति-रिवाज और परम्पराएँ—रीति-रिवाज कानून के स्रोत होने के साथ-साथ सम्प्रभु की कानून बनाने की सीमा भी बाँधते हैं। कोई भी सम्प्रभु अपने अस्तित्व को खतरे में डाले बिना इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। **सर हेनरी मेन** ने पंजाब के शासक रणजीत सिंह का उदाहरण इसी सन्दर्भ में दिया है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून—वर्तमान में विज्ञान की प्रगति और आर्थिक आवश्यकताओं ने राज्यों की दूसरे राज्यों पर पारस्परिक निर्भरता को बढ़ा दिया है। राज्यों के आपसी व्यवहार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून नियमित करते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सम्प्रभुता पर बाह्य नियन्त्रण है जिसकी उपेक्षा राज्य विश्व जनमत के भय से आसानी से नहीं कर सकता है।

(iv) धर्म और अन्य समुदाय—मध्य युग में चर्च और राज्य में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दोनों में संघर्ष चला। काफी समय बाद राजा की सत्ता राज्य में सर्वोच्च सिद्ध हुई, लेकिन धर्म का प्रभाव बाद में बना चला आया। आज भी कोई सम्राट विरोधी कानून बनाने का साहस नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अनेक समुदाय स्थापित हो गए हैं जो विभिन्न व्यवसायों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। वे स्वयं में इतने पूर्ण और स्वतन्त्र हैं कि सम्प्रभु के अधिकार क्षेत्र से वे बाहर हैं।

(7) राजनीतिक सम्प्रभुता के विरुद्ध—ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त में जनमत और राजनीतिक सम्प्रभुता की अवहेलना की गई है। ऑस्टिन यह मानता है सम्प्रभु शक्ति एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित होती है। वह मानव श्रेष्ठ निरंकुश होता है। यह सिद्धान्त लोकतन्त्र के विरुद्ध है। **गार्नर** के शब्दों में, "ऑस्टिन की मुख्य भूल यह है कि उसने सम्प्रभुता के कानूनी पक्ष पर ही अधिक विचार करके अन्य शक्तियों एवं प्रभावों की उपेक्षा की है, जो

Scanned with CamScanner

कानूनों के पीछे रहते हैं।" **गिलक्राइस्ट** के अनुसार, "वास्तविक समस्या यह है कि ऑस्टिन कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में अन्तर करने में असफल रहा है।"

(8) **यह सिद्धान्त लौकिक प्रभुत्व के विरुद्ध है**—यह सिद्धान्त लोकतन्त्र के आधार लौकिक प्रभुत्व के विरुद्ध है। **मैकाइवर** के अनुसार, "ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर लागू होती है क्योंकि उस विचारधारा की विषय-वस्तु स्वामी और दास के सम्बन्धों की व्याख्या मात्र है।

मूल्यांकन—उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह निर्विवाद सत्य है कि ऑस्टिन का सम्प्रभुता का सिद्धान्त वैधानिक दृष्टि से सर्वथा उचित है, क्योंकि राज्य सर्वोपरि संस्था है। यद्यपि व्यावहारिक रूप से कुछ सीमाएँ प्रभुसत्ता पर अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा वह स्वेच्छाचारी हो सकता है। व्यवहार में जो सीमाएँ प्रभुसत्ता पर प्रभाव डालती हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता, धर्म, रीति-रिवाज, लोकमत, अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ, संविधान, जनता के अधिकार आदि होती हैं। विधानतः प्रत्येक राज्य में एक सार्वभौम सत्ता होती है, जिस पर कानूनी प्रतिबन्ध नहीं होता है। वह असीमित और अनियन्त्रित होती है। इस दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धान्त सत्य है।

Scanned with CamScanner